



## संपादकीय

## लोगों में संविधान के प्रति रोसा पैदा करना बहुत ज़रूरी

मणिपुर मामले में एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने

A portrait of a smiling woman with short dark hair, wearing a dark blazer over a black top. She is outdoors, with trees and a path visible in the background.



योगेन्द्र योगी

वैशिक राजनीति में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित करते हुए न्यूजीलैंड की न्याय मंत्री किरी एलन ने एक कार को टक्कर मारने के आरोप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह हादसा वेलिंग्टन में हुआ। इतना ही नहीं घटना के बाद पुलिस ने मंत्री को हिरासत में ले लिया। स्वच्छता की राजनीति की सिक्के का एक उज्जवल पहलू न्यूजीलैंड में देखने को मिला। इस सिक्के का दूसरा काला पहलू भारत की राजनीति में देखा जा सकता है, जहां जनप्रतिनिधियों पर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और अपहरण जैसे संगीन मामले होने के बावजूद वह संसद और विधानसभाओं में जमे हुए हैं।

जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने वें  
निर्देश दिया था कि इन विशेष अदाएँ  
जजों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट की है  
के बगैर नहीं किया जाएगा। इसके  
हाई कोर्ट समय-समय पर अर्जी  
करते हैं और प्रशासनिक आवश्यक  
अन्य आधार पर जज को ट्रांसफर  
की इजाजत मांगते हैं। इसे देख

एक नेता से लाया जाने पर उपर्युक्त राज्यों के विधायक भी पीछे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त के मुताबिक किसी भी नेता को विधायक बनने से पहले एक स्वघोषित हलफनामा फाइल करना होता है, जिसमें उस पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं इसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसी हलफनामे के अनुसार भारत के कुल विधायकों में से 44

अधिकारियों पर हमला और चोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। सन 2004 में जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामलों की संख्या 22 फीसदी थी, जोकि अब दोगुनी हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की लाखों कोशिशों के बावजूद ऐसे विधायकों, सांसदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिनके वित्तान आपराधिक

तेजाना स्पष्ट हो गया। राजनीति का सफलता का एक उज्जवल पहलू न्यूजीलैंड में देखने को मिला। इस सिक्के का दूसरा काला पहलू भारत की राजनीति में देखा जा सकता है, जहां जनप्रितिनिधियों पर हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती और अपहरण जैसे संगीन मामले होने के बावजूद वह संसद और विधानसभाओं में जमे हुए हैं।

देश में वर्तमान में कुल 4001 विधायक हैं। जिसमें से 1,777 यानी 44 फीसदी नेता हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं। वहीं वर्तमान लोकसभा में भी 43 फीसदी सांसद आपराधिक मामलों में घिरे हैं। देशभर में माननीयों के खिलाफ कुल 5097 मुकदमे लंबित हैं। इनमें 40 फीसद पांच साल से ज्यादा पुराने हैं। नौ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों का निपटारा त्वरित गति से कर एक साल के अंदर निपटाया जाना है। यहां तक कहा गया था कि अगर निचली अदालतें ऐसा करने में असफल रहती हैं तो हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। इसके लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान हो गया। लेकिन स्थिति यह है कि वर्तमान में पांच हजार से ज्यादा ऐसे केस लंबित हैं और 40 फीसद केस पांच से ज्यादा वक्त से लटके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2021 को सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की

न्यायमित्र हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 18वीं रिपोर्ट में 10 अगस्त 2021 के आदेश में संशोधन का सुझाव दिया था। न्यायमित्र की रिपोर्ट में एडीआर की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि लोकसभा के 44 फीसद सांसद और राज्यसभा के 31 फीसद सांसदों के खिलाफ अपाराधिक मुकदमे लीबित हैं। अपराधों के मामलों में सांसदों के साथ

प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। देश में वर्तमान में कुल 4001 सिटिंग विधायक हैं। जिसमें से 1,777 यानी 44 पीसदी नेता हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामलों के आरोपों का समाना करना रहे हैं। नेताओं पर लगे कुछ आरोप तो मामूली या राजनीतिक हैं, लेकिन ज्यादातर विधायकों के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी

मामले का निपटारा नहीं किया गया है। विधायकों के ऊपर लगे गंभीर आपराधिक मामलों को देखें तो कुल आपराधिक मामले बताने विधायकों में से 1,136 या 28 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिनमें दोषी पाए जाने और अरोपी को पांच साल या उससे ज्यादा जेल जो जेल की सजा हो सकती है। भाजपा सहित राज्यों में भाजपा के विधायकों पर वर्धिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक जैसे नजर आते हैं। सिर्फ अपनी पार्टी को दूसरी से स्वच्छ दिखाने मात्र को एक-दूसरे पर अपराधों का बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं। जब सवाल राजनीति से अपराध की गंदगी साफ करने का आता है तो सभी एक-दूसरे की संख्या गिनाने लगते हैं। ऐसे में देश में स्वच्छ और समृद्ध लोकतंत्र की कल्पना भी अभी कोसों दूर है।

# बिना चर्चा सदन से पारित कानून अवैध?

सनत जै

मणिपुर में चल रहा सामुदायिक हिंसा को कई लागा ने उस वीडियो तक सीमित कर दिया है, जबकि पूरी हिंसा को लेकर देर सारे सवाल हैं। अब अनेक तथ्य प्रकट हैं, जिनसे राज्य सरकार की शह और केंद्र सरकार की उदासीनता उजागर होती है। शस्त्रागार से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस आदि लूट लिया जाना और सरकारों का इस पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कई सवाल खड़े करता है। विपक्षी दलों ने इन तमाम सवालों को लेकर संसद में जवाब मांगा है, उनके प्रतिनिधि मणिपुर हो आए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं और उच्चाधिकार प्राप्त समिति से इन घटनाओं से संबंधित जांचों पर निगरानी रखने की बात कही है, उससे राज्य सरकार की लापरवाहियों, पक्षपात और हिंसा को नजरअंदाज करने के तथ्य और स्पष्ट हो सकेंगे। मणिपुर की घटना ने केंद्र सरकार को भी सांसद में डाल दिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का भरोसा डिगा है। वहां के दूसरे राज्यों में भी तनाव की आशंका है। ऐसे में वहां तुरंत शार्ट बहाली के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की उम्मीद की जाती है।

कि उसे सदन के अंदर जवाब ना देना पड़े। सरकार, विधेयक का सम्मान करने से बचती है। पिछले कुछ वर्षों में सेकटांग कानून बिना किसी चर्चा के लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं से पारित किए गए हैं। बिना चर्चा के जो कानून पारित किए गए हैं। क्या उन्हें वैध माना जाना चाहिए। इसको लेकर अब बढ़े पैमाने पर चचाएं शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो भी विधेयक पिछले वर्षों में पेश किए गए हैं, उनमें लगभग-लगभग 90 फीसदी से ज्यादा विधेयक संसदीय समिति को भी नहीं भेजे गए हैं। विधेयक संसद और विधानसभाओं में सीधे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संसद अथवा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ घंटे पहले बिल एवं अन्य प्रस्ताव सांसदों और विधायकों के बीच में वितरित कर दिए जाते हैं। वह उनका अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं। सरकार हो हल्ले और हंगामे के बीच सदन में प्रस्तुत करती है। आसंदी भी बिल पास करने की औपचारिकता को पूर्ण करा देता है। कुछ ही मिनटों में कई कानून पास कर दिए जाते हैं।

आसंदी को जो शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करने में आसंदी विफल साबित होती नजर आ रही है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अथवा विधानसभा में आसंदी, के पद पर बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ पक्ष की मेहरबानी से पद धारण करते हैं। यही दबाव उनके ऊपर आसंदी पर बैठने के बाद भी बना रहता है। संविधान निमातांओं ने यह माना था, कि अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद, आसंदी दलगत राजनीति से अलग होगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होगा। सदन के अध्यक्ष सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। चाहे वह सरकार हो, चाहे विपक्ष हो। सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की बात कहने का सदन में अधिकार होगा। जो भी नियम, कानून सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। उन पर सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। सदन के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके उठाए गए हर प्रश्न का जवाब सरकार से दिलाने की जिम्मेदारी आसंदी की ही होती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का संवैधानिक निजी अधिकार है, उसे उत्पादन के अध्यात्म उत्पादन

हीं किया जा सकता है। पिछले छठ वर्षों में स्थिति बिल्कुल उलट जर आ रही है। चुनिदा सांसदों विधायिकों को एक या 2 सनट में अपनी बात कहने का लोका सदन में दिया जा रहा है। आसंद और विधायक जो प्रश्न उत्तर देते हैं। उनके उत्तर भी सरकार नहीं मिलते हैं। तारांकित और नतारांकित प्रश्न लगाने में चिचिलाय मनमाने तरीके से प्रश्न प्रयनित करते हैं। निर्वाचित वित्तिनिधियों के सामान्य अधिकार औ अब आसंदी के रहते हुए सदन सुरक्षित नजर नहीं पा रहे हैं। पिछले एक दशक में लोकसभा, ज्यवस्था एवं विधान सभाओं के अन्त अवधि कम होती जा रही है। एवं सत्र हांगमे और हो-हल्ले में विवर्त हो जाता है। निर्धारित समय पहले ही सदन की कार्यवाही निश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती है। सदन में प्रस्तुत विधेयक, जट अनुपूरक बजट विधि विधाई से संबंधित संशोधन हो - ल्ले के बीच ना और हाँ के लिए मतदान कराकर आसंदी परा स्वीकृत किए जा रहे हैं। अधिकार जो चाहती है, वह आसंदी न देती है। इसे संवैधानिक अनुसारे आसानी सर्वी साधा जा

सरकार को संरक्षण देती है। जिसके कारण आसंदी के साथ, अब विपक्ष के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। आसंदी जब सरकार का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब, आसंदी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर विपक्ष को विश्वास नहीं रहता। जो भी विधेयक सदन में बिना चर्चा पारित किए जा रहे हैं। वह एक तरह से अवैध माने जाने चाहिए। सदन में बिना चर्चा कराए, आसंदी ने बिना चर्चा के जो बिल पारित किए हैं। इसे अवैधानिक ही माना जाना चाहिए। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है। तो इस दिशा में सभी को सोचना होगा। न्यायालयों को भी यह देखना होगा कि जो कानून बनाए गए हैं वह विधिवत तरीके से पास हुए हैं या नहीं। यदि नहीं हुए हैं, तो उन कानून और नियमों को अवैध मानते हुए, न्यायालयों को अपना निर्णय देना चाहिए। यही समय की मांग है। संवैधानिक संश्याएं धीरे-धीरे सरकार पर आश्रित होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति हमें राजतंत्र और तानाशाही की ओर ले जा रही है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म होती जा सकती है।

**युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास**

## कुमार कृष्णन

आया समय चुनाव का ।  
शुरू हुआ गुणगान ॥  
है गिनाते जाना ।  
किया क्या महान् ॥  
जाकर जनदरबार में ।  
शीश है नवाना ॥  
यही हमारा काम है ।  
आप ने भी माना ॥  
आगे थोड़ा कर लेंगे ।  
और भी सुधार ॥  
काम की गुणवत्ता ।  
बची कई प्रकार ॥  
होगा देना मौका ।  
इस पर करें विचार ॥  
कर रहे विरोधी पर ।  
पहले से प्रहार ॥

# -कृष्णन्द राय











